इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013—श्रावण 4, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

एफ. 03-56-2011-तीन-जेल.—बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) की धारा 31-ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, खण्ड—(क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) (एक) नियम—4 घ (2) में उल्लिखित मृत्यु की दशा में आपात छुट्टी की मंजूरी के लिए, जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होगा.

(दो) नियम 4—घ (1) में उल्लिखित विवाह मामलों में आपात छुट्टी की मंजूरी के लिए, जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होगा, किन्तु ऐसे बंदियों के लिए जो पूर्व में महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा मंजूर की गई सामान्य छुट्टी का उपभोग कर चुके हों, महानिदेशक/महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं सक्षम प्राधिकारी होगा.''

F. No. 03-56-2011-III-Jail.—In exercise of the powers conferred by Section 31-E of the Prisoners Act, 1900 (No. 3 of 1900), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Prisoner's Leave Rules, 1989, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 15, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) (i) For sanctioning of emergency leave in death cases mentioned in rule 4-D-(2), the District Magistrate shall be the competent authority.

(ii) For sanctioning of emergency leave in marriage cases mentioned in rule 4-D (1), the District Magistrate shall be the competent authority. But for prisoners who have availed general leave sanctioned by the Director General of Prisons and Correctional Services previously, the Director General/Inspector General of Prisons and Correctional Services shall be the competent authority."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. टी. एक्का, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.